प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में 2005–06 से 2017–18 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम निहित हैं। लेखापरीक्षा परिणामों को अप्रैल 2021 तक अद्यतन किया गया है। 2020–21 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्तों को भी, जहाँ आवश्यक है, सम्मिलित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुपालन में ही लेखापरीक्षा की गई है।